संख्या– 260 /ix–1/01(01)/2021

प्रेषक,

डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, परिवहन, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त, कुमायूँ एवं गढवाल मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।
8. समस्त संभागीय/सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

परिवहन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 25 मई, 2021

विषय–कोविड–19 के संक्रमण के नियन्त्रण हेतु कोविड कर्फ्यू के दृष्टिगत सार्वजनिक परिवहन के संचालन के सम्बन्ध में मानक प्रचालन कार्याविधि (एस0ओ0पी0) का निर्धारण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–131/यूएसडीएमए/792(2020) दिनांक 24–05–2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कोविड–19 के संक्रमण के नियन्त्रण हेतु कोविड कर्फ्यू दिनांक 01–06–2021 की प्रातः 6.00 बजे तक बढाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही उक्त आदेशों में सार्वजनिक सेवायानों के संचालन के सम्बन्ध में परिवहन विभाग स्तर से मानक प्रचालन कार्यविधि (एस0ओ0पी0) का निर्धारण करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

उक्त निर्देशों के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 के संक्रमण के नियन्त्रण हेतु कोविड कर्फ्यू दिनांक 01–06–2021 की प्रातः 6.00 बजे तक बढाये जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य मेमं सार्वजनिक परिवहन के संचालन के सम्बन्ध में निम्नवत् मानक प्रचालन कार्यविधि (एस0ओ0पी0) का निर्धारण किया जाता है:–

1. सभी वाहन स्वामियों/वाहन चालकों एवं यात्रियों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर जनपदीय आवागमन हेतु निर्गत किये गये मानक प्रचालन दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. राज्य के भीतर एवं अन्तर्राज्यीय मार्गों पर वाहन की पंजीयन पुस्तिका में निर्धारित सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत के आधार पर वाहनों के संचालन की अनुमति होगी, परन्तु सभी

वाहनों के संचालकों द्वारा यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर पर ही किराये की वसूली की जाएगी।

3. प्रत्येक यात्रा प्रारम्भ करने से पूर्व एवे यात्रा समाप्ति के पश्चात वाहन का कीटाणुशोधन (सैनिटाईजेशन) किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत वाहन के प्रवेश द्वार, हैण्डिल, रैलिंग, स्टेयरिंग, गियर लीवर, सीटों आदि का भली प्रकार सैनिटाईजेशन सम्मिलित है।

4. वाहन के चालक, परिचालक द्वारा फेस मास्क, ग्लब्स का उपयोग किया जायेगा।

5. अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर जनपदीय यात्रा करने की स्थिति में वाहन में प्रवेश/यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री का थर्मल स्केनिंग के साथ–साथ वाहन के प्रवेश एवं निकास द्वारा पर हैण्ड सैनिटाईजर की व्यवस्था भी की जायेगी।

6. वाहन चालक, परिचालक एवं यात्रियों द्वारा सोशल डिस्टेसिंग सम्बन्धी नियमों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

7. वाहन चालक, परिचालक एवं यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को अपने मोबाईल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना और उसका उपयोग करना अनिवार्य होगा।

8. वाहन में यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री द्वारा मास्क का उपयोग किया जायेगा।

9. यात्रा करते समय पान, तम्बाकु, गुटका एवं शराब आदि का सेवन प्रतिबन्धित रहेगा। वाहन में थूकना दण्डनीय होगा।

10. किसी यात्री में कोविड–19 के लक्षण परिलक्षित होने पर सम्बन्धित वाहन चालक द्वारा उसकी सूचना निकटतम पुलिस थाने/स्वास्थ्य केन्द्र को दी जायेगी।

11. यात्रा के दौरान वाहन को निर्धारित स्टॉपेज पर ही रोका जायेगा।

12. अन्जर्राज्यीय एवं अन्तरसंभागीय यात्रा करने की स्थिति में सम्बन्धित वाहन चालक, परिचालक एवं यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वह देहरादून स्मार्ट सिटी लि0 के वैबसाईट http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ pravasi-registration पर पंजीकरण करने के उपरान्त ही यात्रा प्रारम्भ करें।

13. बाहरी राज्यों से उत्तराखण्ड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों (बस और टैक्सी के ड्राईवर, कन्डक्टर और हैल्पर) को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT-PCR Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।

14. राज्य के निवासी जो गढ़वाल से कुमाऊं से गढ़वाल यूपी के बार्डर के माध्यम से यात्रा करेंगे (अन्तर्राज्यीय) उन्हें कोविड परीक्षण के प्रमाण पत्र (RT-PCR/RAT) की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु उन यात्रियों को राज्य सरकार के Smary City के e-pass web portal (http://smartcitydehradun.uk.gov.in) पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।

15. जिला देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल एवं उधमसिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले समस्त यात्रियों हेतु (RT-PCR/RAT) नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन द्वारा जिला बॉर्डर चैक पोस्ट पर इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

उपरोक्त मानक प्रचालन कार्यविधि (एस0ओ0पी0) का कठोरता से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा उक्त के साथ–साथ गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं मुख्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का भी कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव।

संख्या– /ix-I/2021, समदिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3– सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड शासन।
6– सचिव, गोपन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को मा0 मंत्रिगणों के संज्ञानार्थ
8– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9– महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
10– संबंधित पत्रावली।

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव।